न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3856–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–15 पारित द्वारा तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा प्रकरण कमांक 32/अ–27/2014–15.

1– राजेश आत्मज पुरूषोत्तम
2– सचिदानंद आत्मज पुरूषोत्तम
3– नित्यानंद आत्मज पुरूषोत्तम
निवासीगण ग्राम धनवाड़ा
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कांति कुमार जैसानी आत्मज जमनाप्रसाद जैसानी
2– शांति कुमार जैसानी आत्मज जमनाप्रसाद जैसानी
3– दुर्गेश जैसानी आत्मज जमनाप्रसाद जैसानी
निवासीगण गढीपुरा, हरदा, जिला हरदा
4– कीर्ति जैसानी पुत्री जमनाप्रसाद जैसानी
पत्नी संदीप बोहरा निवासी 203,
नन्दी पार्क अपार्टमेंट गायत्री सोसायटी नं. 2
उधनागांव सूरज (गुजरात)
5– कृष्णाबाई पुत्री स्व. मूलचंद जैसानी
पत्नी स्व. शिवनारायण नंदवाना
निवासी वार्ड नं. 20 मेनरोड
बेमेतरा (छत्तीसगढ़)
6– पुरूषोत्तम दास आत्मज स्व. मूलचंद जैसानी
निवासी ग्राम धनवाड़ा
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रूपक कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 5
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, खिरकिया के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–27/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा दिनांक 24–9–2015 को आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–11–15 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा स्वत्व के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, और स्वत्व के निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः संहिता की धारा 178 के अंतर्गत तीन माह के लिए कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए थी, जो नहीं करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण एवं बटवारा प्रकरण में एकसाथ कार्यवाही किये जाने में विधि की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विस्तृत विवेचना की जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा वसीयतनामा के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है, जबकि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा सह खातेदारों के मध्य किये जाने का प्रावधान है, और आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के सह खातेदार नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही कहा गया कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, अतः तीन माह के लिए कार्यवाही स्थगित नहीं करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का समय

चाहा गया है, और तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–11–15 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । इस संबंध में विचारणीय बिन्दु यह है कि लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, अतः यदि आवेदकगण चाहते तो व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते थे, परन्तु उनके द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर